

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एक.8(22)त.शि./2019

जयपुर, दिनांक 14.05.2020

- आदेश -

राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य/संयुक्त निदेशक पद की दिनांक 01.4.2020 की स्थिति अनुसार (अस्थायी वरिष्ठता सूची) निम्नानुसार एतद्वारा जारी की जाती है।

क्र.स	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	नियमित चयन वर्ष
01	श्री पी के मेहता	8.3.1961	2003-2004
02	श्री डी एस यादव	1.7.1960	2003-2004
03	श्री प्रेमचन्द (अ.जा)	10.7.1962	2006-2007
04	श्रीमती अमिता बाफना	27.8.1960	2008-2009
05	श्री सीताराम जालान्धरा	1.1.1962	2009-2010
06	श्री अशोक कुमार (अ.जा)	25.10.1962	2009-2010
07	श्री राजेश व्यास	16.5.1962	2010-2011
08	श्रीमति उषा किरण गोयल	9.8.1961	2010-2011
09	श्री आलोक बंसल	15.2.1965	2010-2011
10	श्री अशु कुमार सहगल	16.12.1967	2011-2012
11	श्री मती अर्चना मेहरा	02.06.1964	2011-2012
12	श्रीमति रन्जू गुप्ता	17.8.1964	2012-2013

उपरोक्तानुसार वरिष्ठता के संबंध में अधिकारियों द्वारा कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 10 दिवस के अन्दर भेजी जा सकती है। निर्धारित समय पर आपत्तिया प्राप्त नहीं होने पर वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे दिया जायेगा। संबंधित अधिकारी अपनी आपत्तियाँ सीधे ही राज्य सरकार को भिजवाये तथा एक प्रति निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर को प्रेषित है।

आज्ञा से

(अनिल कुमार अग्रवाल)

संयुक्त शासन सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अस्थायी वरिष्ठता सूची को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव, त.शि.